न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA165 Babusingh etc Vs State

1. बाबुसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपुरोहित
2. प्रेमसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपुरोहित
3. रेवतसिंह के कायममुकामान --
    a. टीपूदेवी पत्नी स्व. रेवतसिंह
    b. उम्मेदसिंह पुत्र स्व. रेवतसिंह
    c. ओमसिंह पुत्र स्व. रेवतसिंह
    d. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. रेवतसिंह
    e. अक्षयसिंह पुत्र स्व. रेवतसिंह
4. देवीसिंह पुत्र लादूसिंह के कायममुकामान-
    a. तुलसीदेवी पत्नी स्व. देवीसिंह
    b. विजयसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह
    c. सुमेरसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह
5. इन्द्रा पत्नी अचलसिंह राजपुरोहित
6. नारायणसिंह पुत्र अचलसिंह राजपुरोहित
7. डूंगरसिंह पुत्र अचलसिंह राजपुरोहित
8. चैनसिंह पुत्र अचलसिंह राजपुरोहित
9. गणपतसिंह पुत्र अचलसिंह राजपुरोहित
10. दुर्गसिंह पुत्र अचलसिंह राजपुरोहित
    सभी निवासीगण बडली, तहसील जोधपुर
    जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
    सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 22/2014 राजस्थान सरकार बनाम बाबुसिंह व अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री चैनसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 19 दिस.,2019.

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 22/2014 राजस्थान सरकार बनाम बाबुसिंह वं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 17 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर राजस्व ग्राम बडली जिला जोधपुर स्थित अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 8 की 21 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि पर अवैध खनन मानते हुए खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश बिलकुल निराधार, गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरीत, मनमाना एवं रेकर्ड पर आयी साक्ष्य के विपरीत होने से काबिले खारिज है। अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व प्रकरण की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 की उपधारा 4 के अनुरूप सम्पादित नहीं की गयी है। प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। पटवारी हल्का की जिस रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट के खिलाफ समस्त कार्यवाही कर प्रार्थी के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी किये गये, स्वयं उस पटवारी के बयान अधीनस्थ न्यायालय में कलमबद्ध नहीं कराये गये है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही के तहत नियमानुसार तामील होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है और तामील होने के बाद यदि जबाब पेश होता है तो उस स्थिति में एक नियमित वाद के समांन कार्यवाही की जाना होता है, अन्यथा तहसीलदार एवं खनन विभाग को साक्ष्य सबूत पेश कर केस को साबित करना होता है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही के लिए मियाद की सीमा तीन साल की है, इसलिए यह देखा जाना आवश्यक है कि कब कार्यवाही की गयी और न्यायालय में धारा 177 के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है अथवा नहीं । अपीलाण्ट्स पर अधीनस्थ न्यायालय में सम्मनों की तामील भी नहीं हुई जिस कारण से मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे और अपील पेश करने में हुआ सद्भाविक विलम्ब कण्डोन किया जाकर अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि -

1. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. *अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 7 फरवरी 2014 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।*
3. *इसके बाद भी किसी आदेशिका में अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से किसी अधिवक्ता या स्वयं अप्रार्थी-अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अंकित नहीं है और न ही उक्त दिनांक की आदेशिका के अनुसरण में कोई नोटिस जारी किया जाना अथवा उक्त आदेशिका की दिनांक के बाद कोई नोटिस उक्त अपीलाण्ट पर तामीलशुदा या अदम-तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशका दिनांक 02 नवम्बर 2018 में अंकित कर दिया कि अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर दिये जा चुकें है। इनका जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली दिनांक 12/11/2018 को पेश हो। इससे* ***स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।***
4. *उल्लेखनीय है कि दिनांक 06 मार्च 2014 से लेकर दिनांक 29 मई 2015 तक तथा दिनांक 09 जुलाई 2015 से 05 दिसंबर 2017, 05 जनवरी 2018 से 07 जुलाई 2019 तक किसी भी आदेशिका पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरिती के हस्ताक्षर नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही के प्रति घोर लापरवाही एवं प्रमाद बरता गया है।*

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली में अभिलेख की क्या स्थिति है, आदेशिकाओं में क्या लिखा जा रहा है, पक्षकारान की उपस्थिति/तामील की क्या स्थिति है, आदेशिकाओं में क्या वर्णित किया जा रहा है। कही कोई तारतम्य ही नहीं है।

5. *समूचे प्रकरण में खसरा संख्या 8 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से पर अवैध खनन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी निरस्त की जाकर यह भू-भाग राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है।* ***मगर अपीलाण्ट के हिस्से का यह भू-भाग विशेष है कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया*** *है। मौका रिपोर्ट तक में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की अवस्थिति/हद्दूदो आदि का विवरण नहीं दिया गया है। न ही खसरा संख्या 8 का कुल रकबा अंकित किया है।*

6. *जहाँ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, गुणावगुण पर अपील सारवान पाये जाने के कारण अपील पेश करने में हुए विलम्ब को अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए कण्डोन किया जाता है।*

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 आधारहीन एवं विधिसम्मतः नहीं होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आलोक में कार्यवाही करते हुए पुनः नये सिरे से प्रकरण का नियमानुसार विधिसम्मतः निस्तारण करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर